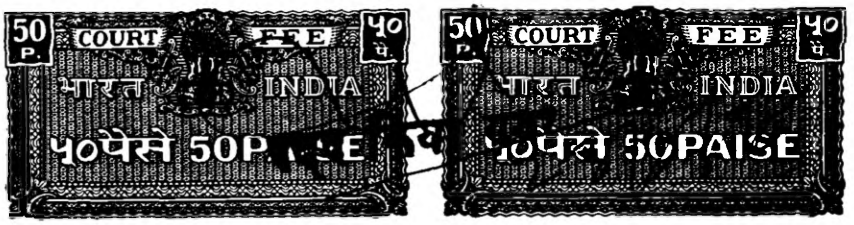

50 P. COURT FEE ५० पै. भारत INDIA ५० पैसे 50 PAISE

50 P. COURT FEE ५० पै. भारत INDIA ५० पैसे 50 PAISE

1-C

एच0सी0एस0नं0
Ep 1970/95

प्रतिलिपि [illegible] -- श्री ओ पी श्री
जे. के. एस. राजपूत द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश, दुर्ग (म0प्र0) के न्यायालय में सत्र प्रक0 233/92 अभिलिखित किया गया है, जिसका प्रकार निम्नलिखित है:-

म0प्र0शासन, द्वारा- थाना भिलाई नगर,
द्वारा - सी0बी0आई0 न्यू दिल्ली. .... अभियोजन.

<u>विरूद्ध</u>

1. चन्द्रकान्त शाह आ0 रामजी भाई शाह,
   साकिन- 21/24, नेहरू नगर, भिलाई.
2. शानू प्रकाश मिश्रा उर्फ शानू आ0 छोटकन,
   साकिन- बाजू आटा चक्की, कैम्प-1, रोड नं. 18, भिलाई,
3. अवधेश राय आ0 रामआशीष राय,
   साकिन- क्वा0नं0- 7ए, रोड नं0-5, सेक्टर-5, भिलाई
4. अभय कुमार सिंह उर्फ अभय सिंह आ0 विक्रमा सिंह,
   साकिन- 7 जी, कैम्प-1, भिलाई, जिला दुर्ग.
5. मूलचंद शाह आ0 रामजी भाई शाह,
   साकिन- सिम्पलेक्स कालोनी, मालवीय नगर, जी0ई0रोड, दुर्ग
6. नवीन शाह आ0 रामजी भाई शाह,
   साकिन- सिम्पलेक्स कालोनी, मालवीय नगर, जी0ई0रोड, दुर्ग
7. पल्टन मल्लाह उर्फ रवि आ0 नोलाई मल्लाह,
   साकिन- निमही थाना रुद्रपुर, जिला देवरिया (उ0प्र0)
8. चन्द्र बक्श सिंह आ0 भारत सिंह,
   साकिन- जी-36, एच0सी0सी0कालोनी, जामुल, जिला दुर्ग.
9. बल्देव सिंह टीटू आ0 रावेल सिंह टीटू,
   साकिन- आर-37, एम0पी0हाउसिंग बोर्ड कालोनी,
   इन्डस्ट्रियल एरिया, भिलाई. ....अभियुक्तगण

50 P COURT FEE 50 पैसे
भारत INDIA
५० पैसे 50 PAISE

न्यायालय:- द्वितीय अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, दुर्ग ।म0प्र0।

। समक्ष:- श्री जे0के0एस0राजपूत ।

सत्र प्र0क्र0- 233/92

:: आरोप-पत्र ::

मैं जे0के0एस0राजपूत द्वितीय अति0 सत्र न्यायाधीश, दुर्ग ।म0प्र0। तुम तुम बलदेवसिंह संधु आत्मज रवेलसिंह संधु पर निम्नलिखित आरोप लगाता हूं :-

प्रथम :- यह कि आपने ~~हुडको कॉलोनी, दुर्ग में दिनांक 28-9-91 को या उसके लगभग प्रात: 3.45 बजे~~ [मार्च 91 से सितम्बर 91 के मध्य किसी समय] उसके लगभग मूलचंद शाह, नवीन शाह, चंद्रकांत शाह, ज्ञानप्रकाश मिश्रा, अवधेश रॉय, अभयकुमार सिंह, चंद्रबक्शसिंह, ~~बलदेवसिंह~~ एवं पलटन मल्लाह के साथ आपसी सहमति द्वारा शंकर गुहा नियोगी की हत्या का षड़यंत्र रचा, जो एक अवैध कार्य था या उसे अवैध साधनों द्वारा कारित करने के लिये करार किया था या उस सहमति के अनुसरण में शंकर गुहा नियोगी की हत्या की गई और इस प्रकार आपने एक ऐसा कार्य किया, जो कि भारतीय दंड संहिता की धारा 120 बी सहपठित धारा 302 के अधीन एक दंडनीय अपराध है तथा इसके संज्ञान की अधिकारिता इस न्यायालय को प्राप्त है ।

अतएव मैं आदेशित करता हूं कि उक्त आरोप का विचारण इस न्यायालय द्वारा किया जावे ।

। जे0के0एस0राजपूत ।
द्वितीय अति0 सत्र न्यायाधीश,
दुर्ग ।म0प्र0।

दुर्ग, दिनांक:- 2-5-94

अभियुक्त को उक्त आरोप को पढ़कर सुनाये व समझाये जाने पर उसने कथन किया कि :- अपराध नहीं किया

Baldev Singh

। जे0के0एस0राजपूत ।
द्वितीय अति0 सत्र न्यायाधीश,
दुर्ग ।म0प्र0।

दिनांक:- 2-5-94

Baldev Singh

सत्यप्रतिलिपि
23/5/98
प्रधान प्रतिलिपिकार
कार्या. जिला एवं सत्र न्यायाधीश
दुर्ग (म.प्र.)